

## तालिका -1

### महाविद्यालय से सम्बन्धित सूचनायें

1. महाविद्यालय का नाम एवं पत्राचार का पता – श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय,  
चकराता-248123(देहरादून)
2. (1) स्थापना का दिनांक – 05 नवम्बर 2004  
(2) प्रथम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने का वर्ष – 2004-05
3. राजाज्ञा सं० एवं दिनांक – 850/XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004
4. दूरभाष सं०(कोड सहित) – कार्यालय – 01360-272547  
कार्यालय प्रभारी – नाम- मनीष कुमार  
(संविदा कर्मी, कनिष्ठ सहायक)  
मो०-7579184904  
प्राचार्य आवास- उपलब्ध नहीं है।  
प्राचार्य मो० – 9411156293  
फैक्स सं० – 01360-272547
5. ई- मेल आई डी – महाविद्यालय- principal@gdcchakrata.com  
प्राचार्य – drjcgghildiyal@radiffmail.com
6. वैब साइट एड्रेस – www.gdcchakrata.com
7. (1) निदेशालय से महाविद्यालय की दूरी – 423 किमी०  
(2)मार्ग के अर्न्तगत पड़ने वाले मुख्य स्टेशन/स्थान – देहरादून, हरिद्वार, नजीबाबाद, धामपुर,काशीपुर,रूद्रपुर आदि ।

8. महाविद्यालय से सड़क की दूरी –

(1) महाविद्यालय किस राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) अथवा राज्यमार्ग (State Highway) पर स्थित है।

–राजमार्ग संख्या– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 507 दूरी 40 किमी0राज्य मार्ग संख्या–20 दूरी 03 किमी0

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) अथवा राज्यमार्ग (State Highway) से महाविद्यालय की दूरी –40 किमी0

राज्य मार्ग संख्या–20 दूरी 03 किमी0

9. महाविद्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन – नाम : देहरादून दूरी : 94 किमी0

10. विकास खण्ड का नाम– चकराता विकास खण्ड से दूरी – 03 किमी0

11. तहसील का नाम– चकराता तहसील से दूरी – 03 किमी0

12. जिला का नाम– देहरादून मुख्यालय से दूरी – 03 किमी0

13. विधान सभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम – 15 एवं चकराता

14. समुद्र तल से ऊँचाई (1) मीटर में – 2194.46

(1 मीटर = 3.281 फीट ) (2) फीट में – 7200

15. स्थापना के समय स्वीकृत शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के नाम एवं संख्या –

क्र० सं०	सृजित पदनाम एवं पदों की सं०	स्थायी / अस्थायी	राजाज्ञा सं० एवं दिनांक जिससे पद सृजित हुआ	राजाज्ञा सं० एवं दिनांक जिससे पद स्थायी हुआ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	प्राचार्य–01	अस्थायी	850/XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	
2.	प्राध्यापक–12	अस्थायी	850/XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	
3.	लिपिक–02	अस्थायी	850/XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	
4.	प्रयोगशाला सहायक–04 (रसायन विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति–विज्ञान, भौतिक विज्ञान)	अस्थायी	850/XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	

5.	मैकेनिकल / इलैक्ट्रिकल-01	अस्थायी	850 / XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-06	अस्थायी	850 / XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	

16. वर्तमान स्थिति 31.03.2014 की स्थितिनुसार स्वीकृत विषय -

क्र०सं०	सृजित पदनाम एवं पदों की सं०	स्थायी / अस्थायी	राजाज्ञा सं० एवं दिनांक जिससे पद सृजित हुआ	राजाज्ञा सं० एवं दिनांक जिससे पद स्थायी हुआ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	प्राचार्य-01	अस्थायी	850 / XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	
2.	प्राध्यापक-12	अस्थायी	850 / XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	
3.	लिपिक-02	अस्थायी	850 / XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	
4.	प्रयोगशाला सहायक-04 (रसायन विज्ञान, जन्तु- विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, भौतिक विज्ञान)	अस्थायी	850 / XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	
5.	मैकेनिकल / इलैक्ट्रिकल-0 1	अस्थायी	850 / XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-06	अस्थायी	850 / XXIV(1)/2004 दिनांक 05 नवम्बर 2004	—	

17. विषय जिनमें स्थाई सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है -  
(राजाज्ञा संख्या का उल्लेख करें)

स्नातक स्तर- शून्य

स्नातकोत्तर स्तर - शून्य

18. विषय जिनमें अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त हुई है ।

स्नातक स्तर— कला संकाय—हिन्दी,, अंग्रेजी,, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, एवं शिक्षाशास्त्र ।

विज्ञान संकाय— भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित ।

स्नातकोत्तर स्तर – शून्य ।

19. (1) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की सूचना (राजाज्ञा संख्या, सम्बद्धता अवधि सहित) —शून्य ।

(2) नियामक संस्था का नाम एवं अनुमति पत्र संख्या एवं दिनांक —शून्य ।

20. महाविद्यालय की भूमि —भवन से सम्बन्धित सूचनार्ये :- 31.03.2014 की स्थितिनुसार)

(1) महाविद्यालय के पास अपनी भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं :- हाँ ।

(2) यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो भूमि अधिप्राप्ति हेतु महाविद्यालय स्तर पर — लागू नहीं ।

अद्यतन की गयी कार्यवाही की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख करें (31.03.2014 की स्थितिनुसार) यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो क्यों ? — लागू नहीं ।

(3) यदि भूमि उपलब्ध है तो माप —

(क) हेक्टेअर में — 1.898 हेक्टेअर

(ख) वर्ग मीटर में — 18980 वर्ग मीटर

( 01हेक्टेअर = 10,000 वर्ग मीटर )

(4) महाविद्यालय की शिक्षणेत्तर गतिविधियों हेतु स्थान उपलब्ध है (हाँ/नहीं) —उपलब्ध है ।  
(अभ्युक्ति)

(5) महाविद्यालय में क्रीड़ा गतिविधियों हेतु निम्न विवरण अंकित करें:-

(क) उपलब्ध Indoor Games की व्यवस्था — स्थाई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) उपलब्ध Outdoor Games की व्यवस्था – स्थाई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) क्रीडा गतिविधियों हेतु महाविद्यालय के पास उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था– पंचायत भवन जिसमें महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है उसका आंगन तथा सैनिक छावनी का क्रीडा स्थल जो कि प्रार्थना करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

(6) महाविद्यालय में उपलब्ध भवनों का विवरण (31 मार्च, 2014 की स्थिति)

क्र० सं०	भवन निजी है / किरायेका किसी संस्था/विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया	यदि निजी है तो स्थायी अथवा अस्थायी टिन शेड आदि	भवन/कक्षों के नाम पृथक-पृथक संख्या लिखें जायं। (कार्यदायी संस्था का नाम भी लिखें।)	कक्षों की संख्या	कक्षा का परिमाण (फीट में)
1	2	3	4	5	
	जिला पंचायत द्वारा निःशुल्क	निःशुल्क	व्याख्यान कक्ष	01	(i) 17'x15.8'
			प्राचार्य/कार्यालय	01	(2) 18.4'x16.3'
			पुस्तकालय/स्टाफ कक्ष	01	(3) 16'x13'

(7) महाविद्यालय की वर्तमान में चल रही निर्माण योजनाओं संबंधी सूचना (लघु, वृहद, अस्थायी आदि) –

क्र०सं०	प्रस्तावित/ स्वीकृत निर्माण कार्यों का विवरण	कक्षों की संख्या	कक्षों का आकार	निर्माण प्रस्ताव लागत	स्वीकृत लागत	कार्यदायी संस्था का नाम	अवमुक्त धनराशि	निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति	भवन हस्तान्तरण की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	(अ)निदेशालय के पत्रांक संख्या डिग्री-सेवा/370-71/2012 दिनांक 04 अप्रैल 13 के द्वारा प्रशासनिक एवं कला	प्रशासनिक एवं कला संकाय भवन	शासन द्वारा स्थापित मानकानुसार	359.85 लाख	359.85 लाख	पेयजल निगम निर्माण	1.50 करोड़	निर्माण कार्य कार्यदा	लागू नहीं

संकाय भवन के निर्माण हेतु रूपये 1.50 करोड़ की शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति। (ब) निदेशालय के पत्रांक संख्या डिग्री-लेखा/16376-77/2013 दिनांक 14 मार्च 2014 के द्वारा प्रशासनिक, वाणिज्य एवं कला संकाय भवन के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु 100.00 लाख (रु0 एक करोड़) शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अर्न्तगत वित्तीय स्वीकृति।					इकाई चकराता		यी संस्था द्वारा आरम्भ किया जा चुका है।
---	--	--	--	--	-------------	--	---

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राचार्य की अभ्युक्ति (यदि कोई हो) -

मूल रूप से महाविद्यालय को कला संकाय एवं विज्ञान संकाय की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी थी लेकिन भवन निर्माण हेतु विज्ञान संकाय के स्थान पर वाणिज्य संकाय की स्वीकृति दी गयी है साथ ही छात्रावास हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

21. कम्प्यूटर की सूचना- ( प्रोजेक्ट "शिखर" के अतिरिक्त)

क्रं0	उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टमों की संख्या	क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या	निष्प्रयोज्य कम्प्यूटरों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	लैपटॉप	01	-	-
2.	डेस्कटॉप	02+05 (एड्रूसेट के सौजन्य से प्राप्त)	-	-

कम्प्यूटर से सम्बन्धित उपकरणों की सूचना।

क्रं0	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या	क्रियाशील	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	प्रोजेक्टर	01	01	-
2.	सी0डी0 राईटर	01	-	निष्प्रयोज्य
3.	एक्सटर्नल सी0डी0 रोम	01	01	-

4.	यू0पी0एस0	06	01	05-निष्प्रयोज्य
5.	प्रिंटर / स्केनर / फ़ैक्स मशीन	02	02	—
6.	प्रिंटर	02	02	—
7.	एल.ई.डी.	01	01	—
8.	स्केनर	01	01	—
9.	फ़ैक्स मशीन	01	01	—

22. प्रोजेक्ट "शिखर" से सम्बन्धित सूचनायें— महाविद्यालय में संचालित नहीं किया जा रहा है।

(क) कोर्स संचालित करने वाली संस्था का नाम— शून्य।

(ख) क्या कम्प्यूटर षासन द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं— शून्य।

(ग) उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या — शून्य।

(घ) उपलब्ध अन्य उपकरण — शून्य।

(ङ) विगत पाँच वर्षों में वर्गवार प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या (संस्थागत) — लागू नहीं।

(च) विगत 3 वर्षों में वर्षवार सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त छात्र / छात्राओं की संख्या — शून्य।

(छ) कम्प्यूटरों / उपकरणों के रख-रखाव, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, विद्युत व्यय, इण्टरनेट आदि पर व्यय किसके द्वारा वहन किये जा रहे हैं। (विगत 05 वर्षों की सूचना) — शून्य।

(ज) प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में प्राचार्य की आख्या — लागू नहीं।

23. (1) महाविद्यालय में पेयजल की व्यवस्था :(है अथवा नहीं)—महाविद्यालय के पास अपना वाटर कनेक्शन नहीं है।

(2) महाविद्यालय में पानी के संग्रहण (storage) की व्यवस्था का उल्लेख करें — नहीं है।

(3) महाविद्यालय में शुद्ध पेयजल हेतु Water Purifier की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं — नहीं है।

24. (1) महाविद्यालय में प्रसाधन की व्यवस्था का उल्लेख करें — छात्र-छात्राओं के लिये उपलब्ध नहीं है।

(2) महाविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी / अधिकारी हेतु पृथक से प्रसाधन सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं : उपलब्ध है।

25. (1) पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या : 3850 पुस्तकें (संदर्भ ग्रंथ सहित)।  
(2) पुस्तकालय में उपलब्ध संदर्भ ग्रंथों की संख्या : – 450 पुस्तकें ।  
(3) महाविद्यालय में नियमित रूप से मंगाये जा रहे  
समाचार पत्र/पत्रिकाओं/जरनल/अन्य प्रकाशन के नाम : हिन्दुस्तान, द टाइम्स ऑफ इण्डिया(मंगाया जाना प्रस्तावित)  
प्रतियोगिता दर्पण, रोजगार समाचार ।  
(4) महाविद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था है अथवा नहीं : अस्थाई व्यवस्था की गयी है ।  
(5) वाचनालय में नियमित रूप से उपलब्ध पत्र-पत्रिकाओं के नाम : प्रतियोगिता दर्पण  
(6) पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण की स्थिति (है अथवा नहीं ) : नहीं हैं ।

26. षासनादेश संख्या .166/XXIV(6)/2010 दिनांक 06 मई, 2010, जिसके द्वारा धूम्रपान प्रतिबन्धित किया गया है, के अनुपालन

की स्थिति : पूर्णतः अनुपालन किया गया है ।

नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम : डॉ० कुलदीप चौधरी,  
संविदा प्रवक्ता, रा०विज्ञान

मोबाइल नं० : 9410316338

27. रैंगिंग हेतु गठित एन्टी रैंगिंग प्रकोष्ठ के गठन की सूचना :

नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम : डॉ० संजीव कुमार शर्मा,  
संविदा प्रवक्ता अर्थशास्त्र

मोबाइल नं० : 9510189828

28. महिला उत्पीडन सेल के गठन की स्थिति : गठित किया गया है

नोडल अधिकारी का नाम व पदनाम : डॉ० सीमा पुण्डीर,  
संविदा प्रवक्ता अंग्रेजी

मोबाइल नं० : 7579080891



29. महाविद्यालय की 2 एफ अथवा 12 बी की स्थिति :

(क) महाविद्यालय 2 एफ से आच्छादित है : नहीं है । दिनांक: लागू नहीं ।

(ख) महाविद्यालय 12 बी से आच्छादित है : नहीं है । दिनांक: लागू नहीं ।

महाविद्यालय ने पत्रांक संख्या 284 दिनांक 07-12-2013 के द्वारा कुलसचिव, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को 2 एफ एवं 12 बी पंजीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित ।

30. नैक प्रकोष्ठ का विवरण-

(1) प्रभारी व सदस्यों के नाम - डॉ0 सुनील कुमार (प्रभारी)

डॉ0 अरविन्द वर्मा (सदस्य)

(2) क्या नैक से प्रत्यायनित है? - नहीं, 2017 में प्रत्यायन प्रस्तावित है ।

यदि हाँ तो cycle I/II प्रथमवार प्रत्यायनित- वर्ष द्वितीयवार - वर्ष

(3) महाविद्यालय को प्राप्त ग्रेड- नहीं है ।

(4) क्या प्रत्यायन/पुनः प्रत्यायन की प्रक्रिया गतिमान है? -

यदि हाँ - नहीं है ।

(5) क्या LOI प्रेषित किया है? - नहीं है ।

यदि हाँ तो कब? -

(6) LOI स्वीकृति की तिथि- नहीं है ।

(7) E -Mail Track ID का नाम- नहीं है ।

(8) SSR प्रेषित करने की तिथि- नहीं है ।

(9) SSR छः माह में प्रेषित करने की अंतिम तिथि— नहीं है।

(10) क्या IQAC स्थापित है— नहीं है।

यदि हाँ तो कब? —

(11) चालू वर्ष में IQAC की बैठकों की संख्या— नहीं है।

(12) क्या चालू वर्ष हेतु IQAC प्रेषित किया गया है— नहीं है।

यदि हाँ तो कब? — लागू नहीं।

पत्रांक एवं दिनांक— लागू नहीं।

31. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में—

(क) पजीकृत अनुरोधों की संख्या : 12

(ख) निस्तारित अनुरोधों की संख्या : 12

(ग) लम्बित प्रकरणों की संख्या : कोई नहीं।

(घ) मैनुअलों को तैयार किये जाने की अद्यतन स्थिति— : वर्ष 2010–11 से ही सूचना अधिकार मैनुअल तैयार किये गये हैं तथा महाविद्यालय के द्वारा प्रतिवर्ष निदेशालय को प्रेषित किया जाता है।

32. महाविद्यालय में प्लेसमेंट सैल की स्थिति :

(1) महाविद्यालय में प्लेसमेंट सैल गठित है : हाँ गठित है।

(2) प्लेसमेंट सैल से विगत वर्ष लाभार्थी छात्रों की संख्या : कोई नहीं।

(3) प्लेसमेंट सैल के संबंध में प्राचार्य की आख्या :

महाविद्यालय में मात्र बी0ए0 की कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। लेकिन कोई भी तकनीकी ज्ञान न होने से महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराना या किसी फर्म को बुलाना सम्भव नहीं है। अतः बी0ए0 के साथ-साथ तकनीकी/रोजगारपरक/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

33. महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्रों की स्थिति

(1) अग्निशमन यंत्र लगाये गये हैं : हाँ

(2) अग्निशमन यंत्रों की संख्या : 01

(3) स्थान

: कार्यालय

34. (1) महाविद्यालय में फिप (FIP) की स्थिति: किसी भी प्राध्यापक द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

(2) फिप (FIP) से लाभान्वित होने वाले प्राध्यापकों की संख्या : कोई नहीं।

35. महाविद्यालय में एडुसेट (Edusat) स्थापित है अथवा नहीं : नहीं, क्योंकि एडुसेट से सम्बन्धित समस्त उपकरण यूसेक द्वारा राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार को स्थानान्तरित किये जा चुके हैं।

यदि हाँ तो वर्तमान में क्रियाशील है अथवा नहीं : नहीं है।

एडुसेट (Edusat) के प्रभारी का नाम, पदनाम व मोबा0 नं0 : — लागू नहीं।

एडुसेट (Edusat) से सम्बन्धित उपकरणों की स्थिति : — राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार को स्थानान्तरित।

36. महाविद्यालय में छात्रावास की स्थिति :

क्र0सं0	छात्रावास (पुरुष/महिला)	कक्षों की उपलब्धता	कितने छात्र/छात्राओं हेतु उपलब्ध है	छात्रावास प्रभारी का नाम
1	2	3	4	5
	पुरुष/महिला	निर्माणाधीन	50	---

वर्तमान में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है परन्तु शासनादेश संख्या 773/XXIV(7)/2014-26(2)/11 दिनांक 28 फरवरी 2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनजातिय उपयोजना के अन्तर्गत छात्रावास भवन निर्माण के द्वितीय चरण के कार्यों हेतु 100.00 लाख (रु0 एक करोड़) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यदायी संस्था पेयजल निगम निर्माण इकाई चकराता द्वारा शीघ्र ही छात्रावास निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

37. महाविद्यालय में छात्र कुर्सी एवं मेज की संख्या : छात्र कुर्सी-129, छात्र मेज-128

38. AISHE की सूचना :

नोडल अधिकारी का नाम : डॉ0 सुनील कुमार

पदनाम : संविदा, प्रवक्ता इतिहास

39. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की सूचना :

प्रभारी का नाम : डॉ० अरविन्द वर्मा (प्रभारी)  
सदस्यों के नाम : डॉ० सुनील कुमार (सदस्य)  
श्री मनीष कुमार (सदस्य), संविदाकर्मी कनिष्ठ सहायक

40. महाविद्यालय में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थिति :

प्रभारी का नाम : डॉ० संजीव कुमार शर्मा  
पदनाम : संविदा प्रवक्ता अर्थशास्त्र  
मोबाईल नं० : 9510189828

41. महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों (संविदा सहित) के नाम से कोई Patent/Copyright उपलब्ध है तो उसका विवरण—  
— कोई नहीं।

42. 1. महाविद्यालय की संदृष्टि (VISION) :

महाविद्यालय के माध्यम से मुख्य रूप से जौनसार—बाबर क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र—छात्राओं में उच्च शिक्षा का विकास करना एवं शिक्षा के माध्यम से उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपक्व जागरूक एवं स्वावलम्बी बनाना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महाविद्यालय में कला, विज्ञान के साथ—साथ वाणिज्य संकाय का खोला जाना, बी०एड० संकाय का खोला जाना तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम पाँच विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र) की स्वीकृति प्राप्त करना। इसके साथ—साथ स्थानीय संसाधन आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना। छात्र—छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु उनको प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मानसिक रूप से तैयार करना।

2. महाविद्यालय द्वारा आगामी वर्षों हेतु निर्धारित लक्ष्य (Goal) :

1. महाविद्यालय में रिक्त पदों पर (प्रवर सहायक की प्रोन्नति के फलस्वरूप प्रतिस्थानी के न आने के कारण रिक्त पद पर , कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर)नियुक्ति हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय से अनुरोध किया जाना।

2. विज्ञान संकाय के अर्न्तगत छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ाने हेतु उच्चकृत प्रयोगशालाओं का निर्माण कराना ।
3. छात्र-छात्राओं के लिये सुसज्जित पुस्तकालय भवन एवं वाचनालय की व्यवस्था कराया जाना ।
4. छात्र-छात्राओं में शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु सांस्कृतिक,क्रीड़ा आदि गतिविधियों को संचालित किया जाना ।
5. भवन निर्माण हेतु शासन का स्वीकृति के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र महाविद्यालय के भवन का निर्माण करवाना ।
6. भवन निर्माण के साथ-साथ महाविद्यालय प्रांगण का विकास करना ।

प्राचार्य के हस्ताक्षर